

प्रारम्भिक डिगरी

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, भीम

ब इजलास श्री मूलसिंह राजावत आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम।

1. दला सिंह उर्फ दूल सिंह पिता श्री भैरू सिंह जाति रावत उम्र 45 वर्ष निवासी बार तहसील भीम जिला राजसमंद।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजू सिंह पिता श्री लाखा सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी बार तहसील भीम।
2. दुर्ग सिंह पिता श्री लाखा सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी बार तहसील भीम।
3. नारायण सिंह पिता श्री लाखा सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी बार तहसील भीम।
4. गोपाल सिंह पिता श्री उदय सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी बार तहसील भीम।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम।

—अप्रार्थीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,54,88,188 आरटीएक्ट

मुकदमा नं 42/2012 रे.वा.

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरू
मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादपत्र के क्रम सं० 1 में वर्णित आराजियात में से अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी बाई मीटस एण्ड बाउण्डस का हिस्सेदार पृथक पृथक बंटवारा किया जाकर काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.5.2016 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
भीम जिला राजसमंद

ददई	रूपया	पै.	मुददायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनाम		
	1	00			
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील) पर		
महनताना वकील) पर			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर,	Nil	
फीस कमीशनर	1	00	बबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान	6	00	मीजान	शून्य	

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2016 ग्राम पंचायत बार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(मूलसिंह राजावत पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत बार

प्रकरण सं. - 40/2012 रेवा

निर्णय दिनांक - 13.05.2016

अनवान

1. दला सिंह उर्फ दूल सिंह पिता श्री भैरू सिंह जाति रावत उम्र 45 वर्ष निवासी बार तहसील भीम जिला राजसमंद।

-प्रार्थीगण

बनाम

1. राजू सिंह पिता श्री लाखा सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी बार तहसील भीम।
2. दुर्ग सिंह पिता श्री लाखा सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी बार तहसील भीम।
3. नारायण सिंह पिता श्री लाखा सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी बार तहसील भीम।
4. गोपाल सिंह पिता श्री उदय सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी बार तहसील भीम।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम।

-अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 88 व 188 राज. काश्त. अधि.

वास्ते बंटवारा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा।

ग्राम बार पटवार हल्का बार तहसील भीम जिला राजसमंद में निम्न आराजियात वादी की मौरुषी होकर वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते व कब्जे में चली आ रही है :

खाता नं0	खसरा नं0	रकबा	किस्म
2	141	5 बिस्वा 10 बिस्वांसी	बारानी 1
	143	3 बिस्वा 10 बिस्वांसी	बारानी
	159	2 बिस्वा	नहरी 2
	161	13 बिस्वा 10 बिस्वांसी	नहरी 2
	167	01 बिस्वांसी	गैर मुमकिन
	302	6 बिस्वा 10 बिस्वांसी	बंजड
	329	3 बिस्वा	बारानी 2
	330	3 बिस्वा	बारानी
	331	13 बिस्वा	बंजड
	332	4 बिस्वा 10 बिस्वांसी	बारानी
	333	5 बिस्वा	बंजड
	354	3 बिस्वा	बंजड
	355	12 बिस्वा 10 बिस्वांसी	बंजड
	541	3 बिस्वा 10 बिस्वांसी	बारानी
	542	4 बिस्वा	बारानी
	557	7 बिस्वा	चाही

कुल किता 16 रकबा 4 बिघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी

वादी व प्रतिवादी संख्या 4 सगे भाई होकर वादग्रस्त आराजियात में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 को प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है इसी प्रकार वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है। मौके पर जमीन बराबर बंटी नहीं होने की वजह से किसी के पास ज्यादा व किसी के पास कम जमीन होने से फसल बोते व काटते समय अक्सर लडाई झगडा होता है व लगान जमा करवाने में परेशानी होती है। मौके पर शान्ति बनी रहे व विवाद न हो इस हेतु मौके पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर अलग अलग खाता कर व हिस्सा बंटवारा कर अलग अलग सुपुर्द कर दी जावे तो विवाद समाप्त हो जावेगा।

अतः वादी का वाद न्यायालय में लम्बित होकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प बार मे पेश हुआ। वादी का वादपत्र इस प्रकार डिगरी किया जाता है कि वादपत्र के कम सं0 1 में वर्णित आराजियात में से अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस का हिस्सेदार पृथक पृथक बंटवारा किया जाकर काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार प्रारम्भिक डिगरी जारी की जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पालना मे तहसीलदार भीम को लिखा जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमंद

() एवं
पीठासीन अधिकारी भीम
उपखण्ड